परमिट सं0– 301 /मानचित्र/जि0पं0/2015–16

कार्यालय जिला पंचायत,
बाराबंकी ।
दिनांक– 05-06-2015

श्री मो0 हसीब पुत्र मो0 हनीफ खान,
अधिकृत हस्ताक्षरित शालीमार कार्प लि0
नि0–मास्टर कन्हैया रोड ऐशबाग लखनऊ आदि।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खतौनी के गाटा सं0 485, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 502, 504, 488, 503, 490 व 491 ग्राम सभा सन्दौली उमरपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज बाराबंकी पर प्रस्तावित आवासीय प्लाटिंग लेआउट प्लान हेतु कवर्ड एरिया 19264.00 वर्ग मी0 तक हेतु संशोधित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष जी व्दारा दिनांक 04–06–2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

माननीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति दिनांक 04–06–2015 के अनुकम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 21 मई 2011 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबन्ध सहित स्वीकार किया जाता है ।

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित लेआउट प्लान की दूरी मार्ग के मध्य से 67.10 मीटर और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मीटर होना आवश्यक है ।

आवासीय प्लाटों में–

(2) आवासीय भवन में किसी सौचालय को गली की ओर खुला नही रखा जायेगा ।

(3) सौचालय का निर्माण फ्लस टाइप का होना चाहिए जिसके लिये सेप्टिक टैंक व शोक फिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी ।

(4) भवन की कुर्सी भवन के निकट गली,सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 से0मी0 रखी जाय । दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) लेआउट प्लान कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत परमिट के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो प्रार्थी व्दारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अध्यक्ष व्दारा पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(6) उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

(7) किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जिला पंचायत इसका उत्तरादायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी होगा ।

(8) स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा मे स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा ।

(9) प्रस्तावित भूखण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही प्लाटिंग कार्य कराया जायेगा । भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा ।

(10) स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग,नाली,तालाब, मरघट,चारागाह व नवीन परती भूमि , बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि, लो0नि0 वि0, सिंचाई विभाग,विद्युत विभाग,अग्निशमन विभाग,वन विभाग,रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बाराबंकी ।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी